(13)

BEFORE THE BOARD OF REVENUE, GWALIOR

अपील-3224-I-16

Second Appeal No._____/2016

APPELLANT : Prashant Achwal S/o Late Shri Manohar Rao Achwal, aged 56 years, Occupation: Business, R/o Opp. Beej Nigam, Sanchi Road, Vidisha, District Vidisha (M.P.)

-Versus-

RESPONDENT: State of M.P. through the Collector, Distt. Sagar (M.P.)

SECOND APPEAL UNDER SECTION 44(2) OF MPLRC ARISING OUT OF THE ORDER DATED 1.8.2016 PASSED BY ADDITIONAL COMMISSIONER, SAGAR DIVISION, SAGAR IN APPEAL NO.784B/121/15-16 AS WELL AS ORDER DATED 31.3.2009 PASSED BY THE COLLECTOR, DISTT. SAGAR IN CASE NO. 1A/10/08-09

Valuation of appeal:	Rs.	as per the plaint
Court Fees:	Rs. 30	as per decree

May it please this Hon'ble Court;

The appellant humbly submit the memo of appeal as under;-

1. That, the appellant is the owner of property admeasuring 6 hector situated at survey no.227/1 at village: Kirrad, Tehsil: Bina, District Sagar.

XXIX(a)-BR(H)-11

-2-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-3224-एक/16 **जिला** - सागर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5/6/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 784/बी-121/15-16 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2016 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 44 (2) के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश के पत्र क्रमांक 751/नग्रानि/2008 दिनांक 23.04.2008 के द्वारा कलेक्टर सागर को भारत ओमान रिफायनरी औद्योगिक क्षेत्र के आसपास 5 कि.मी. निसिद्ध क्षेत्र/प्रोहिबिटेड एरिया सुरिक्षत करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस पत्र पर कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक 31.03.09 द्वारा बीओआरएल आगासौत के चारों ओर 5 कि.मी. क्षेत्र की परिधि को नोडवलपमेंट जॉन घोषित किया गया। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग के समक्ष आवेदक द्वारा अपील पेश की गई। अपर आयुक्त ने यह मानते हुए कि बीना शहर का मास्टर प्लान शासन स्तर पर विचाराधीन है। यह मास्टर प्लान अंतिम नहीं हुआ है। अत: उन्होंने अपीलान्ट को निर्देशित किया कि वे कलेक्टर सागर के विरुद्ध अभ्यावेदन शासन को प्रस्तुत करें। उक्त आदेश के विरुद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। कलेक्टर के आदेश से सप्ष्ट होता है कि उन्होंने संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश के पत्र दिनांक 23.04.2008 के आधार पर कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	03.03.09 द्वारा बी.ओ.आर.एल. आगासौत के चारो ओर 5 कि.मी. क्षेत्र की परिधि को नोडवलपमेंट जॉन घोषित किया है। इस आदेश के विरुद्ध संहिता की धारा-44 के तहत प्रस्तुत अपील को अपर आयुक्त ने इस आधार पर निरस्त किया है कि बीना शहर का मास्टर प्लान शासन स्तर पर विचाराधीन है। कलेक्टर सागर के आदेश के विरुद्ध आवेदक को शासन के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को संहिता की धारा-44 के तहत सुनवाई योग्य न पाते हुए निरस्त किया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त के आदेश में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपील अपर आयुक्त एवं राजस्व मण्डल के समक्ष संहिता के किन प्रावधानों के तहत अपील प्रचलनयोग्य है, इस संबंध में उनके द्वारा स्थित स्पष्ट नहीं की जा सकी। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश उचित है और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामत: यह निगरानी निरस्त की जाती है। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	